मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक--एफ--3--119/2012/32 भोपाल, दिनांक 19-6-2012

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल
विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

विषय:-- नगर विकास योजना में सम्मिलित भूमियों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50(1) के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर विकास स्कीम तैयार कर राज्य शासन को पूर्व अनुमोदन के लिये भेजी जाती है। राज्य शासन में प्रस्ताव के लम्बित रहने की अवधि के दौरान भूमि--स्वामियों द्वारा ऐसी स्कीम में सम्मिलित उनकी भूमियों के संबंध में विभिन्न कारणों से अनापत्ति चाही जाती है। नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी प्रस्तावित स्कीम में सम्मिलित भूमियों पर धारा 30 के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा जारी करने के पूर्व प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हैं।

2/ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 53 के अनुसार नगर विकास स्कीम की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कोई भी व्यक्ति उस स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर ऐसी घोषणा के प्रकाशन के पूर्व उस विकास के सिवाय जो कि संचालक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, किसी भूमि या भवन के किसी उपयोग को संस्थित नहीं कर सकता और न ही उसके उपयोग में तब्दीली कर सकता है और न ही किसी विकास को क्रियान्वित।

3/ उक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि नगर विकास योजना तैयार कर शासन को भेजने तथा उसके आशय की औपचारिक घोषणा की अवधि के दौरान उस योजना में सम्मिलित भूमियों के संबंध में किसी भूमि स्वामी अथवा नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अनापत्ति देने अथवा नहीं देने के विषय पर संबंधित प्राधिकारी नीति निर्धारित करे। प्राधिकरण के संचालक मण्डल के द्वारा ऐसी निर्धारित नीति के अध्यधीन ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।

...2/

4/ कृपया उपरोक्तानुसार नीति निर्धारित कर उसकी एक प्रति राज्य शासन को प्रेषित करें। ऐसी नीति के अभाव में आपके द्वारा प्रस्तुत नगर विकास स्कीम के प्रस्तावों का अनुमोदन राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जावेगा।

(इकबाल सिंह बैंस)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0--एफ--3--119 / 2012 / 32
भोपाल, दिनांक 19 - 6 - 2012

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र., भोपाल की ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग